भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2997
उत्तर देने की तारीख : 18.12.2025

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास

2997. श्री आदित्य यादव :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में प्रमुख निर्माण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इन उद्योगों द्वारा प्रदान किया गया रोजगार सरकारी औद्योगिक प्रतिवेदन के अनुसार सहित औद्योगिक विकास की स्थिति सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जिले में स्थापित उद्योगों हेतु औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन, एमएसएमई विकास को प्रोत्साहन, ऋण सुविधाओं में सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन का समर्थन और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार संपर्क में सुधार हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित या प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात विविधीकरण बढ़ाने, अवसंरचना अवरोधों को दूर करने और कारोबार की सुगमता सुनिश्चित करने हेतु विशेष रूप से स्थानीय उद्यमियों एवं महिलाओं के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम और लक्षित समर्थन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले सहित देश भर में एमएसएमई के संवर्धन एवं विकास के लिए, विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। दिनांक 15.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार, बदायूं जिले में 4,22,927 व्यक्तियों को रोजगार देते हुए उद्यम पोर्टल पर, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित, कुल 70,244 एमएसई पंजीकृत हैं। बदायूं जिले में मुख्य विनिर्माण क्षेत्रों और उनमें प्रदान किए गए रोजगार का ब्यौरा अनुबंध-**I** पर है।

(ख) और (ग) : एमएसएमई मंत्रालय उत्तर प्रदेश सहित, देश भर में औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन, एमएसएमई के संवर्धन एवं विकास, ऋण सुविधाओं में सुधार, प्रौद्योगिकीय उन्नयन में सहायता तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार लिंकेजेस को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। जिनमें से कुछ निम्न हैं:

(i) मंत्रालय क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाते हुए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संपूर्ण विकास के लिए उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का कार्यान्वयन करता है। स्कीम के तहत, मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना और नए/मौजूदा औद्योगिक एस्टेटों/क्षेत्रों/फ्लेटेड फैक्टरी परिसरों में आधारभूत सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए भारत सरकार के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत, सलारपुर, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश में मौजूदा औद्योगिक एस्टेट के उन्नयन के लिए एक परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के तहत, एमएसई को सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों द्वारा बिना किसी कोलेटरल सुरक्षा या तृतीय पक्ष गारंटी के, एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से, 10 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है।

सीजीएस के तहत एमएसई को प्रदान की गई क्रेडिट गारंटियों का विवरण निम्न प्रकार से है:

सीजीएस- अनुमोदित गारंटियाँ (दिनांक 30 नवम्बर, 2025 तक संचयी)		
	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
बदायूं	16,196	887
उत्तर प्रदेश	17,47,395	1,22,498

सीजीएस- अनुमोदित गारंटियाँ-विनिर्माण क्षेत्र (दिनांक 30 नवम्बर, 2025 तक संचयी)		
	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
बदायूं	4,277	156
उत्तर प्रदेश	3,98,078	32,474

(iii) देश में प्रौद्योगिकी केन्द्रों/टूल रूमों का एक नेटवर्क उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण और कौशल तक पहुँच प्रदान करने के माध्यम से एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करता है। एमएसएमई मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 5 टीआर और टीआई अर्थात प्रक्रिया और उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), आगरा, प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), मेरठ, सुगंध और सुरस विकास केंद्र (एफ़एफ़डीसी), कन्नौज, काँच उद्योग के विकास के लिए केंद्र (सीडीजीआई), फ़िरोज़ाबाद और केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफ़टीआई), आगरा सहित देश भर में उद्योगों और एमएसएमई को परामर्शी सेवाएं और प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करने के लिए 18 टूल रूमों (टीआर) और प्रोद्योगिकी संस्थानों (टीआई) की स्थापना की है। इन टीआर और टीआई को सामान्यतया प्रौद्योगिकी केन्द्र (टीसी) कहा जाता है। यह केंद्र उद्योगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सहायता, प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाएं प्रदान करते हैं।

मंत्रालय का प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) परियोजना मौजूदा टीसी के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना और मौजूदा प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) के उन्नयन की और अभिप्रेरित है। 15 नए टीसी में से, 2 टीसी उत्तर प्रदेश में कानपुर और ग्रेटर नोएडा में है जिनका उद्घाटन कर देश को समर्पित किया गया है।

(iv) खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उनकी बाज़ार उपस्थिति को सुदृढ़ करने, उत्पाद दृश्यता को बढ़ाने, और घरेलू बाज़ारों तक पहुँच में सुधार के संबंध में बाज़ार पहुँच पहलों को सृजित करने के लिए लाभ प्रदान करती है।

पीएमएस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश में लाभान्वित एमएसई की संख्या:

वित्त वर्ष	**घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/ एक्सपो की संख्या**	उत्तर प्रदेश में लाभान्वित एमएसई की संख्या
2022-23	6	204
2023-24	4	264
2024-25	8	307

(v) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम के तहत, पात्र केंद्र/राज्य सरकार के संगठनों और उद्योग संघों को, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/विदेशों में आयोजित क्रेता-विक्रेता बैठकों और भारत में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सेमिनारों/कार्यशालाओं आदि के आयोजन हेतु एमएसएमई को भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए, प्रतिपूर्ति आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रथम बार निर्यात करने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में शामिल विभिन्न खर्चों के लिए भी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में विगत 05 वर्षों के दौरान 4,54,95,002/- रुपए की सहायता राशि के साथ आईसी स्कीम के तहत कुल 158 एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं।

(vi) व्यापार में सुगमता बढ़ाने के लिए, सरकार, एमएसई को उनके खरीदारों से विलंबित भुगतान के मामलों के निपटारे के लिए ऑनलाइन विवाद निपटान (ओडीआर) तंत्र, उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर एमएसएमई के ऑनलाइन पंजीकरण आदि जैसी प्रक्रियाओं के डिजिटीकरण और सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

(vii) सरकार ने एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:

(i) उद्यम पंजीकरण (यूआर) और उद्यम असिस्ट पोर्टल (यूएपी) पर महिला-स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान आयोजित करना। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की कुल संख्या 24,40,477 है, इनमें से महिला स्वामित्व वाले 15,168 एमएसएमई बदायूं जिले में है।

(ii) सार्वजनिक खरीद नीति के तहत, सभी सीपीएसई/मंत्रालयों/विभागों को अपनी वार्षिक खरीद की 3% खरीद महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से करने का अधिदेश दिया गया है।

(iii) एमएसएमई मंत्रालय प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) क्रियान्वित करता है, जो क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है और पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान करते हुए गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसरों के सृजन की ओर लक्ष्यांकित है। कुल पीएमईजीपी लाभार्थियों में से, 39% महिलाएँ हैं और उन्हें गैर-विशेष श्रेणी (25% तक) की तुलना में अधिक सब्सिडी (35%) प्रदान की जाती है।

(iv) महिलाओं के बीच उद्यमिता बढ़ाने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय कॅयर विकास योजना के तहत 'कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना' का क्रियान्वयन करता है, जो कॅयर क्षेत्र में कार्यरत महिला कारीगरों के कौशल विकास की ओर लक्ष्यांकित एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

(v) एमएसएमई मंत्रालय ने 18 पारंपरिक व्यवसायों में कार्यरत महिलाओं सहित पारंपरिक कारीगरों और शिल्पियों को अनेक लाभ प्रदान करने के लिए, दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत की।

(vi) मंत्रालय ने मौजूदा और आकांक्षी महिला उद्यमियों के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए 'यशस्विनी' नामक एक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है और उन्हें हेंडहोल्डिंग, मेंटरशिप और क्षमता निर्माण के माध्यम से सतत सहायता प्रदान की जा रही है।

******

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2997, जिसका उत्तर दिनांक 18.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के लिए दिनांक 01/07/2020 से 15/12/2025 तक उद्यम के तहत कुल पंजीकृत विनिर्माण एमएसएमई और रिपोर्ट किए गए रोजगार का एनआईसी 2 डिजिट वार ब्यौरा						
एनआईसी 2 डिजिट कोड	विवरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	रोजगार
10	खाद्य उत्पादों का निर्माण	4,438	29	3	4,470	24,572
32	अन्य विनिर्माण	1,268	4	3	1,275	7,665
13	वस्त्रों का निर्माण	1,236	-	-	1,236	15,088
14	पहनने वाले कपड़ों का निर्माण	1,052	-	-	1,052	5,040
01	फसल और पशु उत्पादन, शिकार और संबंधित सेवा गतिविधियाँ	844	1	-	845	5,655
27	इलेक्ट्रिकल उपकरणों का निर्माण	755	3	-	758	5,459
41	भवन निर्माण	522	3	-	525	3,517
33	मशीनरी और उपकरणों की मरम्मत और स्थापना	425	1	-	426	4,700
16	लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का निर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; पुआल और बुनाई सामग्री की वस्तुओं का निर्माण	415	-	-	415	2,409
08	अन्य खनन और उत्खनन	382	2	-	384	8,250
43	विशिष्ट निर्माण गतिविधियाँ	347	7	-	354	2,203
31	फर्नीचर का निर्माण	331	-	-	331	1,470
20	रसायन और रासायनिक उत्पादों का निर्माण	305	9	8	322	2,271
42	सिविल इंजीनियरिंग	289	4	-	293	2,751
23	अन्य गैर-धातु खनिज उत्पादों का निर्माण	288	1	-	289	3,750
24	बुनियादी धातुओं का निर्माण	275	4	-	279	1,850
25	मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण	256	3	-	259	3,867
26	कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण	240	1	-	241	1,114
07	धातु अयस्कों का खनन	228	-	-	228	12,100
28	मशीनरी और उपकरणों का निर्माण एन॰ई॰सी	199	9	-	208	1,057
15	चमड़े और संबंधित उत्पादों का निर्माण	196	-	-	196	775
22	रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण	160	2	-	162	782
18	रिकॉर्डेड मीडिया की छपाई और पुनरुत्पादन	162	-	-	162	816
17	कागज और कागज उत्पादों का निर्माण	154	1	-	155	785
05	खनन और उत्खनन	142	-	-	142	1,339

21	फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पादों का निर्माण	131	2	3	136	1,077
35	बिजली, गैस, भाप और एयर कंडीशनिंग की आपूर्ति	107	3	-	110	476
09	खनन सहायता सेवा गतिविधियाँ	106	1	-	107	680
11	पेय पदार्थों का निर्माण	85	-	-	85	436
29	मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर का निर्माण	77	-	-	77	380
30	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	68	1	-	69	358
36	जल संग्रह, उपचार और आपूर्ति	46	1	-	47	277
06	कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण	39	2	-	41	246
19	कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण	35	-	-	35	222
12	तंबाकू उत्पादों का निर्माण	30	-	-	30	2,230
37	सीवरेज	29	-	-	29	10,240
38	अपशिष्ट संग्रह, उपचार और निपटान गतिविधियाँ; सामग्री पुनर्प्राप्ति	26	-	-	26	11,555
39	उपचार गतिविधियाँ और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएँ	9	-	-	9	1,964
	कुल	**15,697**	**94**	**17**	**15,808**	**149,426**